UPPG160011292016

न्यायालय सिविल जज (प्रवर वर्ग) कुण्डा, प्रतापगढ़।

अध्यासीन : आकृति गौतम, उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा

(J.O.Code–UP2470)

सिविल मूल वाद संख्या–13/2016

1– सावित्री देवी आयु 52 वर्ष पत्नी राजाराम मौर्य, निवासीग्राम पीरा नगर, पो० मनगढ़ परगना बिहार, तहसील कुंडा, जिला प्रतापगढ़। (मृतक दौरान मुकदमा)

1/1–विकास कुमार उम्र 46 वर्ष।

1/2–व्यास कुमार उम्र 48 वर्ष। सुतगण राजाराम

निवासीगण ग्राम पीरा नगर, पो० मनगढ़ परगना बिहार, तहसील कुंडा, जिला प्रतापगढ़।

..... वादीपक्ष।

बनाम

2– सुनीता देवी आयु लगभग 38 वर्ष पत्नी ज्ञानचन्द्र गुप्ता साकिन पुरानी बाजार कुंडा परगना बिहार तहसील कुंडा, जिला प्रतापगढ़।

..... प्रतिवादिनी।

<u>एकपक्षीय– निर्णय</u>

1. वादिनी द्वारा प्रस्तुत वाद प्रतिवादिनी के विरूद्ध वाद वसूलयावी के अनुतोष हेतु योजित किया गया है।

2. संक्षेप में, वादपत्र का कथानक इस प्रकार है कि वादिनी ने प्रतिवादिनी से दिनांक 17.12.2012 को एक प्लाट का विक्रय पत्र स्थित गाटा सं.3532 प्राप्त किया। प्रतिवादिनी द्वारा उल्लिखित किया गया कि उसने विक्रीत सम्पत्ति को इनामुलहक उर्फ अनवारुलहक सुत अब्दुल रज्जाक से जरिये विक्रय पत्र प्राप्त किया है। प्रतिवादिनी के कथन व अभिलेख के आधार पर विश्वास करके वादिनी ने विक्रय पत्र में दर्शित धनराशि मु० 5,45,000 रुपया अदा करके विक्रय पत्र प्राप्त किया। इस प्राप्त धन से प्रतिवादिनी द्वारा लाभ प्राप्त किया गया। उपर्युक्त उल्लिखित विक्रय पत्र को प्राप्त करने में वादिनी का

Digitally signed by AKRITI GAUTAM
Date: 2026.06.06 10:55:18 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

मु० 5,45,000 रुपया नकद व 23,000 रुपया का स्टाम्प शुल्क एवं 10020 रुपया पंजीकरण शुल्क मुलजुमला 578020 रुपया खर्च हुआ। कालान्तर में ज्ञात हुआ कि प्रतिवादिनी के विक्रेता का मुकदमा लम्बित रहा, जो प्रतिवादिनी के विक्रेता के विरुद्ध निर्णीत हुआ, जिसका इन्द्राज अभिलेखों में 27.06.2015 को किया गया, जिसकी कोई सूचना वादिनी को किसी माध्यम से नहीं हो सकी। बमाह अप्रैल सन 2016 में उपर्युक्त वर्णित आदेश की जानकारी अफवाहन प्राप्त होने पर वादिनी ने अभिलेखों की जांच किया, तो उपरोक्त वर्णित तथ्य की जानकारी नकल प्राप्त करने पर हुई। अभिलेखों से ज्ञात हुआ कि द्वितीयपक्ष का अधिकार विक्रीत सम्पत्ति के निमित्त समाप्त हो चुका है। विक्रीत सम्पत्ति अचल सम्पत्ति है, जिस पर मूल्य का अधिभार निहित है, जो विक्रेता के अधिकार समाप्त होने के कारण वादिनी उपर्युक्त वर्णित विक्रय पत्र में व्यय की गयी। धनराशि को वापस प्राप्त करने की अधिकारिणी है। पक्षों के मध्य हुई विक्रय संविदा में यह तय पाया गया था कि विक्रीत सम्पत्ति में किसी प्रकार की बाधा पड़ने पर उसका दायित्व प्रतिवादिनी का होगा। तद्नुसार भी द्वितीयपक्ष की स्वीकृति के अनुसार व्यय की गयी। धनराशि प्रतिवादी से वापस प्राप्त करने की अधिकारिणी है। वादिनी ने प्रतिवादिनी से नकल प्राप्त करने के उपरान्त उपर्युक्त वर्णित व्यय की गयी धनराशि वापस प्राप्त करने हेतु कहा, किन्तु प्रतिवादिनी ने मई 2016 ई० में धनराशि देने से इंकार कर दिया, जिससे प्रस्तुत वाद की आवश्यकता हुई। अतः वादिनी मुकदमा द्वारा प्रतिवादिनी से मु० 5,78,020 रुपये दिलाये जाने की वसूली डिक्री पारित करने की याचना की गयी है।

3. वादिनी ने न्यायालय से अनुतोष चाहा है कि डिग्री वसूलयावी मु० 5,78,020 बहक वादिनी विरुद्ध प्रतिवादिनी प्रदान करते हुए प्रतिवादिनी को आदेशित किया जाये कि 5,78,020 रुपया का भुगतान डिग्री की तिथि से एक माह के अन्दर अदा कर दे। यदि प्रतिवादिनी डिग्री का अनुपालन न करे तो डिग्री की पूर्ति प्रतिवादिनी के व्यय पर न्यायालय द्वारा करायी जाये। यह भी याचना की गयी है कि 15 प्रतिशत वार्षिक ब्याज डिग्रीशुदा सम्पत्ति पर वसूलयावी होने तक दिलाया जाये। खर्चा मुकदमा व अन्य उपषम जिसकी भी वादिनी अधिकारिणी पायी जाये, प्रतिवादिनी से दिलाया जाये।

4. यह उल्लेखनीय है कि प्रस्तुत वाद में प्रतिवादिनी सुनीता देवी उपस्थित आई तथा उनके द्वारा अपना जवाब भी प्रस्तुत किया गया। दिनांक 02.03.2023 को उभयपक्ष की उपस्थिति में न्यायालय द्वारा वाद बिन्दु भी विरचित किये गये। इसके उपरान्त, न्यायालय द्वारा उभयपक्ष को सुनने के उपरान्त दिनांक 04.07.2023 को प्रारम्भिक वाद बिन्दु सं.5 का निस्तारण किया गया। प्रतिवादिनी द्वारा वादिनी मुकदमा एवं उसके साक्षी शैलेश कुमार से जिरह भी की गयी, परन्तु उसके उपरान्त प्रतिवादिनी पत्रावली में निरन्तर

अनुपस्थित ही रही। प्रतिवादिनी की निरन्तर अनुपस्थिति के कारण न्यायालय द्वारा दिनांक 04.09.2025 को प्रतिवादिनी सुनीता देवी के विरुद्ध प्रस्तुत वाद की कार्यवाही एकपक्षीय रूप से अग्रसारित करने का आदेश पारित किया गया।

5. वादिनी द्वारा अपने वादपत्र के समर्थन में उद्धरण खतौनी गाटा सं.2761 ख व 2777 ग्राम बरई, परगना कुंडा, तहसील कुंडा फसली वर्ष 1420–1425 कागज सं.8ग1/1 ता 8ग1/2 विक्रय पत्र दिनांकित 17.12.2012 मूलप्रति कागज सं. 7ग1/1 ता 7ग1/14 प्रमाणित नकल न्यायालय चकबंदी कुंडा वाद सं. 28 आख्या दिनांकित 15.05.2015 कागज सं. 49ग1/2 ता 49ग1/4 एवं प्रमाणित नकल न्यायालय चकबंदी कुंडा वाद सं.28 आदेश दिनांकित 11.06.2015 कागज सं. 49ग1/5, प्रस्तुत किया गया है।

6. प्रतिवादिनी सुनीता देवी द्वारा अपने लिखित कथन के समर्थन में सूची कागज सं. 20ग1/1 से नकल नामान्तरण बही ग्राम बरई परगना बिहार, तहसील कुंडा प्रतापगढ़ मुकदमा सं. 594 आदेश दिनांकित 25.03.2009 सत्यप्रतिलिपि कागज सं. 20ग 1/2, नकल खतौनी बाबत खाता सं. 356 ग्राम बरई, परगना बिहार, तहसील कुंडा, प्रतापगढ़ में पारित नामान्तरण आदेश दिनांकित 28.02.2013 सत्यप्रतिलिपि कागज सं. 20ग1/3 ता 20ग1/4 एवं उद्धरण खतौनी फसली वर्ष 1426–1431 (1जुलाई, 2018 से 30 जून, 2024) खाता सं. 449 गाटा सं. 3532 ग्राम बरई, तहसील कुंडा, जनपद प्रतापगढ़, प्रस्तुत किया गया है।

7. वादिनी मुकदमा द्वारा अपने वादपत्र के समर्थन में निम्नलिखित विधि व्यवस्थाएँ प्रस्तुत की गयी हैं–

1–अजय कुमार बनाम रामस्वरूप आदि (बोर्ड ऑफ रेवन्यू) 2009 (2) AWC 3.22 (BR –FB)

2–भंडारी कन्स्ट्रक्शन कम्पनी बनाम नारायण गोपाल उपाध्याय (माननीय उच्चतम न्यायालय) 2007 (2) AWC 1892 (SC)

8. उपरोक्त विधि व्यवस्थाओं का मेरे द्वारा ससम्मान अवलोकन किया गया।

9. मेरे द्वारा वादिनी मुकदमा के विद्वान अधिवक्ता की बहस को सविस्तार विगत नियत तिथि 27.05.226 को सुना गया तथा पत्रावली का सम्यक रूप से परिशीलन किया गया है।

10. निस्तारण वाद बिन्दु संख्या 1,2,4 एवं 6

वाद बिन्दु संख्या 1,2,4 व 6 निम्नलिखित आशय के विरचित किये गये हैं–

वाद बिन्दु सं.1–क्या विक्रय पत्र दिनांकित 17.12.2012 में प्रतिवादिनी ने

5,45,000/–रुपये लेकर निष्पादित किया था?

वाद बिन्दु सं.2–क्या प्रश्नगत विक्रय पत्र शून्य हो गया था?

वाद बिन्दु सं.4– क्या वादी प्रश्नगत विक्रय पत्र के निष्पादन में हुए खर्चे को प्राप्त करने का अधिकारी है?

वाद बिन्दु सं.6– वादी का अनुतोष? यदि कोई हो।

11. उपरोक्त समस्त वाद बिन्दु एक–दूसरे से संबंधित है, अतः उनका एक साथ निस्तारण किया जा रहा है।

12. पत्रावली के सम्यक परिशीलन से यह विदित होता है कि वादपत्र आधार यह है कि वादिनी सावित्री देवी (मृतक दौरान मुकदमा) द्वारा प्रतिवादिनी सुनीता देवी से दिनांक 17.12.2012 को प्रश्नगत वादग्रस्त गाटा सं. 3532 में एक प्लॉट का विक्रय पत्र कुल प्रतिफल धनराशि पांच लाख पैतालिस हजार रुपये अदा कर प्राप्त किया था। उक्त विक्रय पत्र को प्राप्त करने में अलग से वादिनी मुकदमा का तेइस हजार रुपये का स्टाम्प शुल्क एवं दस हजार बीस रुपये का पंजीकरण शुल्क खर्च हुआ था। वादिनी मुकदमा को माह अप्रैल सन 2016 में यह ज्ञात हुआ कि प्रतिवादिनी के विक्रेता का एक मुकदमा लम्बित था, जो कि प्रतिवादिनी के विक्रेता के विरुद्ध निर्णीत हुआ। उक्त आदेश का इंद्राज राजस्व अभिलेखों में दिनांक 27.06.2015 को किया गया। चूंकि, जिस अंश को प्रतिवादिनी ने अपने विक्रेता से जरिये बैनामा प्राप्त किया था, उसी अंश में वादिनी ने प्रतिवादिनी से जरिये बैनामा प्राप्त किया था, अतः प्रतिवादिनी का प्रश्नगत सम्पत्ति पर अधिकार समाप्त हो जाने के कारण वादिनी मुकदमा को प्रश्नगत विक्रीत जमीन कभी प्राप्त नहीं हुई। इसी कारण वादिनी मुकदमा प्रतिवादिनी से प्रश्नगत विक्रय पत्र दिनांकित 17.12.2012 में वर्णित प्रतिफल धनराशि पांच लाख पैतालिस हजार रुपये एवं खर्च हुए तेइस हजार रुपये का स्टाम्प शुल्क व दस हजार बीस रुपये का पंजीकरण शुल्क वापस प्राप्त करने की अधिकारिणी है। वादिनी ने प्रतिवादिनी से उपरोक्त धनराशि को वापस करने के संबंध में बातचीत की थी, परन्तु प्रतिवादिनी ने मई 2016 में उक्त धनराशि देने से मना कर दिया था, जिसके कारण वादिनी को प्रस्तुत वाद दाखिल करने की आवश्यकता पड़ी।

13. पत्रावली के सम्यक परिशीलन से यह भी विदित होता है कि प्रस्तुत मुकदमें में प्रतिवादिनी सुनीता देवी हाजिर हुई थी तथा अपना लिखित उत्तर भी दाखिल किया गया था। प्रतिवादिनी द्वारा वादिनी मुकदमा एवं उसके साक्षी शैलेश कुमार के साथ प्रतिपरीक्षण भी किया गया था। वादिनी मुकदमा के साक्ष्य का अवसर समाप्त होने के उपरान्त जब प्रस्तुत पत्रावली प्रतिवादिनी सुनीता देवी के साक्ष्य के स्तर पर नियत हुई तब से प्रतिवादिनी सुनीता देवी पत्रावली में गैर हाजिर हो गयी। उनकी ओर से कोई अधिवक्ता भी पैरवी हेतु उपस्थित

नहीं रहते थे। कई बार अवसर प्रदान करने के बावजूद जब प्रतिवादिनी गैरहाजिर रही तथा अपनी ओर से साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया, तब दिनांक 04.09.2025 को न्यायालय द्वारा प्रस्तुत वाद प्रतिवादिनी के विरुद्ध एकपक्षीय रूप से अग्रसारित कर दी गयी। प्रस्तुत वाद एकपक्षीय रूप से अग्रसारित होने से पूर्व प्रतिवादिनी की ओर से जो भी दस्तावेजी साक्ष्य एवं वादिनी व उसके साक्षी से किये गये प्रति–परीक्षण साक्ष्य के रूप में ग्राह्य होंगे।

14. प्रतिवादिनी द्वारा अपने लिखित उत्तर कागज सं.24 क 1 में मुख्य रूप से यह कथन किया गया है कि वादिनी मुकदमा द्वारा प्रश्नगत बैनामा में उल्लिखित पांच लाख पैतालिस हजार रुपये की प्रतिफल की अदायगी कभी नहीं की गयी थी। बैनामा की बातचीत प्रतिवादिनी के पति एवं वादिनी के मध्य एक लाख साठ हजार रुपये में तय हुई थी। प्रतिवादिनी बैनामा की तिथि तक प्रश्नगत विक्रीत भूमि पर साधिकार काबिज रही और उसकी भूमि में बैनामा के पश्चात वादिनी मुकदमा प्रतिवादिनी के साथ सहखातेदार हुई तथा वादिनी का नाम राजस्व दस्तावेज में बतौर सहखातेदार दर्ज हुआ। प्रतिवादिनी द्वारा प्रश्नगत गाटा सं.3532 में 1/3 भाग का बैनामा पूर्व स्वामी इमामुलहक उर्फ अनवारुलहक से लिया था। पूर्व स्वामी इमामुलहक उर्फ अनवारुलहक ने एक ही बैनामें में प्रश्नगत वादग्रस्त गाटा सं.3532 में 1/3 भाग का बैनामा प्रतिवादिनी के हक में तथा शेष 2/3 भाग का बैनामा तौफीक अहमद एवं इश्तखार अहमद को कर दिया था। तत्पश्चात पूर्व स्वामी इमामुलहक उर्फ अनवारुलहक का नाम खारिज होकर प्रतिवादिनी के साथ तौफीक अहमद व इश्तखार का नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज हुआ। चूंकि, वादिनी ने प्रतिवादिनी के वाली भूमि भाग में एक किता प्लाट 23X60 फीट का बैनामा ही लिया था, अतः उक्त भूमि के बाबत प्रतिवादिनी के नाम से साथ वादिनी का नाम बतौर सहखातेदार राजस्व कागजात में दर्ज हुआ था। बैनामा की तथाकथित भूमि परती पड़ी हुई है, जिसपर वादिनी के कब्जा दखल में किसी ने कभी कोई अड़चन नहीं किया था। वादिनी मुकदमा स्वयं प्रश्नगत बैनामा की भूमि पर जानबूझकर कब्जा दखल नहीं किया। वादिनी मुकदमा द्वारा बैनामा लेते समय प्रश्नगत बैनामा की भूमि की स्वयं जांच पड़ताल की गयी थी और उसके उपरान्त प्रतिवादिनी के पति से बैनामा करने की बात कुल एक लाख साठ हजार रुपये में तय पायी गयी थी। वर्तमान में, वादिनी मुकदमा का नाम प्रश्नगत वादग्रस्त सम्पत्ति गाटा सं. 3532 में बतौर सहखातेदार दर्ज है। वादिनी मुकदमा को प्रतिवादिनी एक लाख साठ हजार रुपये मात्र इस शर्त पर वापस करने के लिये तैयार है कि वादिनी मुकदमा विक्रय की गयी जमीन को जरिये बैनामा रजिस्ट्री करके प्रतिवादिनी को वापस करा दे।

15. वादिनी मुकदमा द्वारा दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में प्रतिवादिनी द्वारा वादिनी मुकदमा के पक्ष में निष्पादित बैनामा दिनांकित 17.12.2025 कागज सं.7 ग 1 की सत्यापित

प्रति प्रस्तुत की गयी है। इसके अतिरिक्त, वादिनी मुकदमा द्वारा सूची 49ग1 से चकबन्दी न्यायालय द्वारा मुकदमा सं. 28 अफजाल बनाम अनवारुल अन्तर्गत नियम 109 अ में प्रेषित रिपोर्ट व आदेश दिनांकित 11.06.2015 की सत्यापित प्रति कागज सं.49ग1/1 ता 49ग 1/5 प्रस्तुत की गयी है। उक्त रिपोर्ट एवं आदेश दिनांकित 11.06.2015 के अनुसार आकारपत्र 45 की खाता सं.359 की नयी गाटा सं.3532 में इमामुलहक यानी प्रतिवादिनी का विक्रेता का नाम खारिज कर उसके स्थान पर जुबैदुलहसन, खुर्शीद अहमद, कुरेश अहमद, सुफेल अहमद एवं जुनैद अहमद के नाम दर्ज करने हेतु आदेशित है। वहीं दूसरी ओर, प्रतिवादिनी की ओर से दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में सूची 20ग1 से नकल नामान्तरण बही ग्राम बरई परगना बिहार, तहसील कुंडा, प्रतापगढ़ में खाता सं.356 की गाटा सं. 3532/01–14–04 हे० के बाबत प्रतिवादिनी के विक्रेता इमामुलहक उर्फ अनवारुल का नाम खारिज करके प्रतिवादिनी तथा तौफीक अहमद व इश्तेखार अहमद का नाम विक्रय पत्र के आधार पर दर्ज किये जाने के आदेश दिनांकित 26.03.2009 की सत्यापित प्रति कागज सं. 20ग1/2 प्रस्तुत की गयी है। साथ ही खाता सं. 356 की गाटा सं. 3532/0.431 में प्रतिवादिनी के नाम के साथ–साथ विक्रय पत्र के आधार पत्र वादिनी मुकदमा सावित्री देवी का नाम दर्ज होने के आदेश दिनांकित 28.02.2013 की सत्यापित प्रति कागज सं.20ग1/4 दाखिल की गयी। इसके अतिरिक्त, प्रतिवादिनी की ओर से खाता सं. 449 की गाटा सं.3532 ग्राम बरई परगना बिहार, तहसील कुंडा फसली वर्ष 1426–1431 की नकल खतौनी की सत्यापित प्रति दाखिल की गयी है, जिसमें वादिनी मुकदमा सावित्री देवी का नाम बतौर सहखातेदार दर्ज है। इसके अतिरिक्त, प्रश्नगत नकल खतौनी के अन्तिम पृष्ठ पर दर्ज आदेश दिनांकित 06.10.2022 के माध्यम से फीडिंग त्रुटि के कारण प्रतिवादिनी सुनीता का नाम, जो दर्ज होने से छूट गया था, होकर शुद्ध दर्ज करने हेतु आदेशित है। अर्थात वर्तमान में गाटा सं. वादिनी मुकदमा द्वारा जिस रिपोर्ट एवं आदेश की सत्यापित प्रति दाखिल की गयी है जिसमें प्रतिवादिनी के विक्रेता इमामुलहक का नाम खारिज करने का आदेश पारित है, उसमें खाता सं. 359 अंकित है। जबकि, प्रतिवादिनी द्वारा प्रस्तुत अद्यतन नकल खतौनी दाखिल की गयी है, दिनांकित 11.06.2015 उसमें गाटा सं. 3532 की खाता सं.449 दर्ज है। प्रश्नगत बैनामा में मात्र गाटा सं.3532 ही अंकित व उल्लिखित है। खाता संख्या अंकित नहीं है। वादिनी मुकदमा द्वारा प्रस्तुत आदेश प्रतिवादिनी की ओर से प्रस्तुत नकल खतौनी से काफी पुराने है। प्रतिवादिनी की ओर से प्रस्तुत प्रश्नगत नकल खतौनी के बाबत वादिनी की ओर से किसी प्रकार का कोई खंडनीय साक्ष्य भी प्रस्तुत नहीं किया गया है और न ही स्पष्ट किया गया है कि प्रतिवादिनी द्वारा प्रस्तुत नकल खतौनी खाता सं. 449 गाटा सं. 3532 रकबा 0.4310 हे० में उसका व

प्रतिवादिनी का नाम बतौर सहखातेदार कैसे दर्ज है तथा उक्त गाटा सं. 3532 रकबा 0.04310 हे० प्रश्नगत बैनामा की विक्रीत भूमि यानि विषय वस्तु नहीं है। यह भी उल्लेखनीय है कि वादिनी मुकदमा अपने प्रतिपरीक्षण बयान में यह कथन करती है कि उन्हें इस बात की जानकारी ही नहीं है कि वर्तमान में प्रश्नगत गाटा सं.3532 में उसका नाम बतौर सहखातेदार दर्ज है।

16. यह भी उल्लेखनीय है कि प्रश्नगत खारिजा आदेश दिनांक 11.06.2015 का है। वादिनी ने प्रतिवादिनी से प्रश्नगत वादग्रस्त सम्पत्ति का बैनामा वर्ष 2012 में लिया गया था। प्रश्नगत बैनामा की सत्यापित प्रति में यह तथ्य अंकित है कि प्रतिवादिनी द्वारा वादिनी मुकदमा पर विक्रीत भूमि पर कब्जा करा दिया गया है। वादिनी मुकदमा अपने वादपत्र में यह कथन करती है कि उसे बमाह अप्रैल 2016 में प्रश्नगत खारिजा आदेश की जानकारी प्राप्त हुई थी और उसके बाद से वादिनी ने प्रतिवादिनी से सम्पर्क कर बैनामें के पैसे को वापस करने की बात की थी। यहां यह स्वाभाविक प्रश्न उठता है कि वर्ष 2012 से वर्ष 2016 तक के मध्य अवधि में वादिनी मुकदमा को विक्रित भूमि पर कब्जा प्राप्त हुआ था अथवा नहीं। यदि, बैनामें के तुरन्त बाद ही वादिनी मुकदमा को कब्जा दखल लेने में रुकावट हुई थी, तो प्रस्तुत वसूली वाद त्वरित रूप से कब्जा दखल में बाधा उत्पन्न होने के उपरान्त न्यायालय में दाखिल क्यों नहीं किया गया। इस अवधि के दौरान की परिस्थितियों का किसी प्रकार का कोई उल्लेख वादिनी द्वारा अपने वादपत्र में नहीं किया गया है। वादिनी मुकदमा प्रतिपरीक्षण बयान में यह कथन करती है कि उसे यह जानकारी नहीं है कि किन व्यक्तियों द्वारा उसके कब्जा दखल में रुकावट की गयी थी। इस प्रकार, प्रतिवादिनी की ओर से प्रस्तुत अद्यतन नकल खतौनी एवं वादिनी मुकदमा के प्रतिपरीक्षण के बयान से यह साबित होता है कि वादिनी मुकदमा का प्रश्नगत वादग्रस्त भूमि के बाबत बतौर सहखातेदार नाम दर्ज है। तथा उसके द्वारा उक्त विक्रीत भूमि का कब्जा दखल लेने में किसी प्रकार की कोई–कभी रुकावट नहीं थी। यह भी उल्लेखनीय है कि वादिनी मुकदमा द्वारा प्रस्तुत वाद मात्र प्रश्नगत बैनामा के प्रतिफल धनराशि की वसूली हेतु दाखिल किया गया है,परन्तु प्रश्नगत बैनामा के निरस्तीकरण की कोई याचना नहीं की गयी है। प्रश्नगत बैनामा के जीवित रहते हुए वसूली का आदेश पारित किया जाना अपने आप में अर्थहीन होगा तथा ऐसा करने से वादिनी मुकदमा को अनुचित लाभ प्राप्त होगा। वादिनी मुकदमा द्वारा यह कारण स्पष्ट नहीं किया गया है कि उसके द्वारा बैनामा निरस्तीकरण के अनुतोष की याचना क्यों नहीं की गयी है अथवा ऐसा भी कोई उल्लेख नहीं है कि उसके द्वारा पृथक रूप से कोई वाद बैनामा निरस्तीकरण के लिये कोई वाद दाखिल किया गया है अथवा नहीं।

17. उपरोक्त विश्लेषण एवं प्रस्तुत वाद के तथ्यों व परिस्थितियों के दृष्टिगत वादी

मुकदमा अपने वाद को एकपक्षीय रूप से साबित करने में विफल रही है। अतः दावा वादी एकपक्षीय रूप से आज्ञप्त किये जाने योग्य नहीं है।

<u>आदेश</u>

वादिनी का वाद सं. 13/2016 विरूद्ध प्रतिवादिनी एकपक्षीय रूप से निरस्त किया जाता है।

वाद व्यय वादिनी मुकदमा अपना स्वयं वहन करेंगी। पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर की जाए।

(आकृति गौतम)
दिनांकः 30.05.2026 सिविल जज (प्रवर खण्ड) कुण्डा,
प्रतापगढ़।

निर्णय एवं आदेश खुले न्यायालय में आज मेरे द्वारा हस्ताक्षरित एव दिनांकित करके, उद्घोषित किया गया ।

(आकृति गौतम)
दिनांकः 30.05.2026 सिविल जज (प्रवर खण्ड) कुण्डा,
प्रतापगढ़।

स्टेनो–सुनील कुमार पटेल(II)